उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-110/2023/I/384215/तीस-3-2023
लखनऊ : दिनांक 08 सितम्बर, 2023

संशोधन/शुद्धि-पत्र

सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, बाराबंकी के भवन मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु पूर्व स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष द्वितीय/अवशेष किश्त के रूप में धनराशि रू0 68.91 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-109/2023/2339/30-3-2023, दिनांक 05 सितम्बर, 2023 द्वारा निर्गत की गयी है, जिसके प्रस्तर-2 में निम्नवत उल्लेख किया गया है:-

"इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के **पूंजीगत पक्ष** के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण की मद में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख से वहन किया जायेगा।"

2- उपरोक्त प्रस्तर में राजस्व पक्ष" के स्थान पर "पूंजीगत पक्ष" अंकित हो गया है। अत: उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 को निम्नवत् पढ़ा जाय :-

"इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के **राजस्व पक्ष** के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण की मद में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख से वहन किया जायेगा।"

3- तदनुसार शासनादेश संख्या-109/2023/2339/30-3-2023, दिनांक 05 सितम्बर, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

ह0/-
(के०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-110/2023/I/384215/तीस-3-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, बाराबंकी।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था - उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ-तृतीय।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in